

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक:

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच) के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह मई-जून, 2025 में करवाये जा रहे हैं (प्रति सालंगन)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 08.06.2025 (रविवार) को होगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सारकारी एवं अर्द्धसारकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 08.06.2025 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उरा मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. विशिष्ट सचिव (एस.एन.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 19.05.2025 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
12. संभागीय आयुक्त अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा।
13. जिला कलक्टर अजमेर, ब्यावर, अलवर, खैरथल-तिजारा, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, बालोतरा, डीग, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झुंझारपुर, जयपुर, कोटपुतली-बहरोड, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, झुंझुनू, जोधपुर, फलीदी, करौली, नागौर, कुचामन-डीडवाना, प्रतापगढ़, राजसमंद, रावई माधोपुर, सीकर, सिराही, श्रीगंगानगर, उदयपुर व संलूबर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2025.05.28 17:52:21 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 15589119

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email-secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1928

दिनांक: 30/05/25

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई-जून, 2025 - संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक:

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच) के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह मई-जून, 2025 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 08.06.2025 (रविवार) को होगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 08.06.2025 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. विशिष्ट सचिव (एस.एन.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 19.05.2025 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
12. संभागीय आयुक्त अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा।
13. जिला कलक्टर अजमेर, ब्यावर, अलवर, खैरथल-तिजारा, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, बालोतरा, डीग, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली-बहरोड, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, झुंझुनू, जोधपुर, फलौदी, करौली, नागौर, कुचामन-डीडवाना, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, उदयपुर व संलूबर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2025.05.28 17:52:21 IST
Reason: Approved

